सचिवालय, नगर निगम, आगरा।

कार्यकारिणी समिति के
उन्तीसवें अधिवेशन की
बैठक
का
कार्यवृत्त
(पृष्ठ 1 से 20 तक)
दिनांक 24.05.2016

इन्द्र विक्रम सिंह,
नगर आयुक्त,
नगर निगम, आगरा

इन्द्रजीत आर्य
महापौर
नगर निगम, आगरा

सचिवालय, नगर निगम, आगरा

माननीय महापौर महोदय के आदेशानुसार कार्यकारिणी समिति के 29 (उन्तीसवें) अधिवेशन की बैठक दिनांक 24.05.2016 को मध्याह्न 12:00 बजे नगर निगम कार्यकारिणी कक्ष में सम्पन्न हुई। जिसका कार्यवृत्त निम्न प्रकार है :–

उपस्थिति :–

01.	श्री इन्द्रजीत आर्य	महापौर/सभापति	02.	श्री राकेश जैन	उप सभापति
03.	श्री अशोक बंसल	सदस्य	04.	श्री शोभा राम राठौर	सदस्य
05.	हाजी बिलाल कुरैशी	सदस्य	06.	श्री जितेन्द्र पाराशर	सदस्य
07.	श्री श्रीकृष्ण	सदस्य	08.	श्री पप्पू उस्मानी	सदस्य
09.	श्री मनोज कुमार सोनी	सदस्य	10.	श्री विजय सिंह	सदस्य
11.	श्रीमती रज़िया सुल्ताना	सदस्य	12.	श्रीमती रजनी माधव	सदस्य

अधिकारीगण :–

01.	श्री इन्द्र विक्रम सिंह	नगर आयुक्त
02.	श्री राम सिंह गौतम	अपर नगर आयुक्त
03.	श्री हरी राम गुप्ता	मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी
04.	श्री अनिल कुमार	उप नगर आयुक्त
05.	श्री प्रणव कुमार शर्मा	मुख्य अभियन्ता,
06.	श्री संजय कटियार	अधिशासी अभियन्ता, प्रभारी, मार्गप्रकाश/कर्मशाला
07.	श्री देवेन्द्र यादव	अधिशासी अभियन्ता
08.	श्री मनोज प्रभात	अधिशासी अभियन्ता, मार्ग प्रकाश
09.	श्री अरुण कुमार सिंह	लेखा परीक्षक
10.	श्री सौरभ अग्रवाल	आई.टी.ओ.
11.	श्री चन्दन सिंह	सचिव, जलकल विभाग

मा0 महापौर – द्वारा सभी मा0 कार्यकारिणी सदस्यों, एवं अधिकारियों का स्वागत करते हुए नगर आयुक्त को कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

नगर आयुक्त – द्वारा मा0 महापौर के निर्देशानुसार कार्यकारिणी समिति के 29वें अधिवेशन की बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए, एजेन्डे के बिन्दु–1 कार्यकारिणी समिति के 28वें अधिवेशन की बैठक दिनांक 26.03.2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि करने हेतु प्रस्ताव कार्यकारिणी के समक्ष पढ़ा गया।

हाजी विलाल कुरैशी एवं श्री विजय सिंह आदि सदस्यगण – द्वारा कहा गया कि कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित पुराने प्रस्तावों के आगणन अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए हैं।

नगर आयुक्त – द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्य अभियन्ता के परिवार में गमीं हो जाने के कारण थोड़ा विलम्ब हो गया है। मुख्य अभियन्ता को निर्देशित कर दिया गया है कि मई माह के अन्तिम सप्ताह तक सभी पारित पुराने प्रस्तावों के आगणन तैयार करा लिये जायें। कार्यों की प्राथमिकता के नजरिये से दो बैठकें पूर्व में कर चुकें हैं। कार्यकारिणी समिति की एक फॉर्मल बैठक जून के प्रथम सप्ताह में बुला ली जायेगी ताकि उक्त पारित प्रस्तावों की प्राथमिकता (प्रायरिटी) निश्चित हो जाये, जिन पर कार्य कराया जाना है।

श्री अशोक बंसल, पार्षद – द्वारा कहा गया कि कार्यकारिणी के 28वें अधिवेशन की बैठक के प्र संख्या–3 में सिन्धी मार्केट के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था कि मा0 महापौर द्वारा एक सप्ताह के अ कमेटी का गठन कर दिया जाये उक्त कमेटी अपने गठन के 15 दिन के अन्दर सिन्धी मार्केट/हॉस्पिटल रोड की वाउन्ड्री के सहारे स्थित स्टॉलों को सड़क चौड़ी करने हेतु उन्हें हटाये जाने, खन्दारी चौराहे पर स्थित शैल्टर होम की दुकानों तथा नामनेर चौराहे पर स्थित नगर निगम की दुकानों के सम्बन्ध में भी अपनी महत्वपूर्ण आख्या/नीतिगत निर्णय से अवगत करादे। कमेटी की रिपोर्ट आने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, कार्यकारिणी को अवगत कराया जाये कि लगभग दो माह बीत गये उक्त कमेटी का गठन अध्यक्ष महोदय द्वारा किया गया अथवा नहीं ? यदि कमेटी का गठन अध्यक्ष महोदय द्वारा कर दिया गया था तो उक्त कमेटी द्वारा सिन्धी मार्केट के सम्बन्ध में अपनी क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ? कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों को अवगत कराया जाये। यदि कोई रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गयी है तो क्यों ? क्षेत्र की जनता हमसे पूछती है कि किस कारण से यह महत्वपूर्ण प्रकरण लम्बित रखा जा रहा है ? मान्यवर, एक माह पश्चात् इस कार्यकारिणी समिति के आधे (6 सदस्य) बाहर हो जायेगें और तब इस महत्वपूर्ण प्रकरण पर कोई कार्यवाही नहीं हो पायेगी।

मा0 महापौर – द्वारा कार्यकारिणी समिति को अवगत कराया गया कि उनके द्वारा दिनांक 18.4.2016 को दो कमेटियों का गठन करने सम्बन्धी दो पत्र नगर आयुक्त कार्यालय में प्राप्त कराये गये हैं जिनमें से (1) नगर निगम की नौ दुकानें स्थित नामनेर, आगरा के किराया वृद्धि के सम्बन्ध में 5 सदस्यों की कमेटी गठित की गयी है जिसमें सर्वश्री सत्यप्रकाश अग्रवाल, राकेश जैन, मुकेश यादव, पार्षदगण, श्री हरीराम गुप्ता, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी तथा श्री तरुण शर्मा, मुख्य अभियन्ता (निर्माण) सदस्य हैं जिन्हें एक सप्ताह में अपनी आख्या प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित करने हेतु नगर आयुक्त को पत्रांक–10/डी/महापौर कैम्प/16/दिनांक 18.4.2016 लिखा गया है। इसी प्रकार हरीपर्वत जोन–1 खन्दारी तिराहे पर खन्दारी चौकी चुंगी के स्थान पर शेल्टर होम व दुकानों का निर्माण किया गया है जिसके भूतल पर बनी तीन दुकानों के सन्दर्भ में आख्या प्रस्तुत करने हेतु कार्यकारिणी समिति द्वारा लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में 5 सदस्यों की कमेटी गठित की गयी है जिसमें श्रीमती शालिनी शर्मा, श्री शिरोमणि सिंह, श्री धर्मवीर सिंह, पार्षदगण, श्री अनिल कुमार, उप नगर आयुक्त तथा श्री हरीराम गुप्ता, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी सदस्य हैं जिन्हें एक सप्ताह में अपनी आख्या प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित करने हेतु नगर आयुक्त को पत्रांक–11/डी/महापौर कैम्प/16/दिनांक 18.4.2016 लिखा गया है।

सिन्धी मार्केट की 64 दुकानों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी कि ये 64 दुकानें कौन सी हैं इसलिए इनके सम्बन्ध में कोई कमेटी नहीं गठित की गयी है।

नगर आयुक्त – द्वारा कार्यकारिणी समिति को अवगत कराया गया कि मा0महापौर द्वारा कमेटी बनादी गयी।

श्री राकेश जैन, उप सभापति – द्वारा कहा गया कि नामनेर की नौ दुकानों के किराया वृद्धि के सम्बन्ध में गठित कमेटी में मेरा नाम प्रस्तावित है लेकिन मुझे आज तक इसकी कोई सूचना तक नहीं मिली है। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है तथा कार्यकारिणी की कमेटी में केवल कार्यकारिणी सदस्य ही होने चाहिए।

सर्वश्री अशोक बंसल, जितेन्द्र पाराशर, विजय सिंह, हाजी बिलाल कुरैशी, शोभाराम राठौर, पप्पू उस्मानी, श्रीकृष्ण, मनोज कुमार सौनी, रज़िया सुल्ताना, रजनी माधव आदि सदस्यगण – द्वारा उक्त दोनों कमेटियों के सदस्यों के सम्बन्ध में आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा गया कि कार्यकारिणी में उठाये गये किसी भी बिन्दु के सम्बन्ध में गठित कमेटी के सदस्यों में कार्यकारिणी सदस्यों को ही सम्मिलित किया जाना चाहिए और सदन में उठाये गये बिन्दु के सम्बन्ध में सदन के पार्षदों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। कार्यकारिणी समिति की कमेटी में कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को सम्मिलित न किया आपत्तिजनक है।

केश जैन, उप सभापति, सर्वश्री अशोक बंसल, जितेन्द्र पाराशर, हाजी बिलाल कुरैशी, शोभा राम राठौर द सदस्यगण – द्वारा कहा गया कि सिन्धी मार्केट की 64 दुकानों के सम्बन्ध में स्थिति पूर्णतः स्पष्ट है क ये वही दुकानें हैं जो एस.एन. हॉस्पिटल के पीपल वाले गेट से पोस्ट मार्टम गृह के पास स्थित गेट तक हॉस्पिटल रोड की वाउन्ड्री के सहारे पुरानी दुकानें हैं जिनसे आवागमन में परेशानी होती है और इनके बदले उक्त दुकान आवन्टियों को चर्च की दीवार के सहारे नयी दुकानें नगर निगम द्वारा आवन्टित की जा चुकी हैं। हॉस्पिटल रोड की वाउन्ड्री के सहारे वाली पुरानी 64 दुकानें हटायी जानी हैं।

मा0 महापौर – द्वारा कहा गया कि एक सप्ताह में एक कमेटी और गठित कर दी जायेगी जो सिन्धी मार्केट प्रकरण के सम्बन्ध में अपनी आख्या प्रस्तुत करेगी।

सर्वश्री अशोक बंसल, जितेन्द्र पाराशर, विजय सिंह, हाजी बिलाल कुरैशी, शोभाराम राठौर, पप्पू उस्मानी, श्रीकृष्ण, मनोज कुमार सौनी, रज़िया सुल्ताना, रजनी माधव आदि सदस्यगण – द्वारा कहा गया कि विगत कार्यकारिणी समिति की बैठक में सर्वसम्मति से यही निर्णय लिया गया था कि एक ही कमेटी द्वारा तीनों ही प्रकरणों में अपनी आख्या प्रस्तुत करनी है। अब मा0 महापौर द्वारा दो कमेटियॉ गठित कर दी गयी हैं तो इन दोनों कमेटियों के सदस्यों को सम्मिलित करते हुए तीनों प्रकरणों की जॉच आख्या प्राप्त कर ली जाये। अब अलग से कोई भी कमेटी बनाने का कोई औचित्य नहीं है।

निर्णय :– बहुमत से निर्णय लिया गया कि जो भी कमेटी बने कार्यकारिणी सदस्यों में से ही बननी चाहिए और सदन में विचाराधीन प्रकरण के सम्बन्ध में सदन के पार्षदों में से कमेटी बननी चाहिए।

मा0 महापौर – कोई भी कमेटी बनाने का अधिकार मेयर का है,कौन पार्षद कहॉ के लिए उपयुक्त है महापौर निर्णय लेगें।

नगर आयुक्त – द्वारा कहा गया कि यदि आप सभी सदस्य सहमत हों तो कार्यवृत्त की पुष्टि कर दी जाये।

सर्वश्री अशोक बंसल, जितेन्द्र पाराशर, विजय सिंह, हाजी बिलाल कुरैशी, शोभाराम राठौर, पप्पू उस्मानी, श्रीकृष्ण, मनोज कुमार सौनी, रज़िया सुल्ताना, रजनी माधव आदि सभी सदस्यगण – द्वारा कार्यवृत्त की पुष्टि किये जाने हेतु कहा गया।

निर्णय :– कार्यकारिणी समिति द्वारा कार्यकारिणी समिति के 28वें अधिवेशन की बैठक दिनांक 26.03.2016 के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

नगर आयुक्त – द्वारा एजेन्डे के बिन्दु–2 मौजा छलेसर में खसरा नं0 821 राज कार्पोरेशन की भूमि के बदले नगर निगम की खसरा रु0 1026 व 1027 की भूमि दिये जाने हेतु प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष पढ़ा गया :–

प्रस्ताव संख्या – 2

आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा के आदेश संख्या-759/23-15:2010-2011द्ध दिनांक 27.12.2010 के अन्तर्गत नगर निगम की भूमि छलेसर स्थित खसरा संख्या-827 जिसका रकवा 0.0690हे0, खसरा संख्या-1026 का रकवा 0.0920हे0 एवं 1027 का रकवा 1.1210हे0 भूमि को आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को निःशुल्क प्रदान किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। उक्त के अनुक्रम में परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, आगरा को इस कार्यालय के पत्र संख्या-836/डी0/स0अ0/12 दिनांक 8.2.2012 में उक्त भूमि आवास निर्माण हेतु निःशुल्क उपलब्ध कराई गयी। लेकिन भवनों के निर्माण में रास्ता न होने के कारण इस कार्यालय के पत्र संख्या-769/डी/स0अ0/13 दिनांक 28.2.2013 को तहसीलदार, एत्मादपुर से सीमांकन हेतु अनुरोध किया गया तथा पुनः पत्र संख्या-370/डी/स0अ0/15 दिनांक 19.3.2015 से तहसीलदार, एत्मादपुर से अनुरोध किया गया। उक्त भूमि का रास्ता न होने के अभाव में एवं सीमांकन/चिन्हांकन न होने के कारण वर्तमान में भी रिक्त है।

उक्त के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी, एत्मादपुर के पत्र संख्या-टी2016011003558 राजकोर्पोरेशन लिमिटेड डायरेक्टर सरिता यादव बनामू नगर निगम, आगरा द्वारा अधि0 अभियन्ता अ0धा0-161 ज0वि0अधि0 मौजा छलेसर तहसील एत्मादपुर के द्वारा मौजा छलेसर के खाता संख्या-288 के खसरा नम्बर 821 रकवा 2.5350 हे0 तथा अपनी भूमि (नगर निगम की भूमि) से उक्त खसरा नम्बर 1026 रकवा 0.092हे0, खसरा संख्या-1027 रकवा 1.121हे0 अ0धा0-161 ज0वि0अधि0 में मा0 न्यायलय में विचाराधीन होने का उल्लेख करते हुए, विनिमय करने के सम्बन्ध में नगर निगम से अपना प्रस्ताव न्यायालय में दिनांक 12.2.2016 को भिजवाने की अपेक्षा की गयी। इसके सम्बन्ध में अपर नगर आयुक्त महोदय के पत्रांक 5034/डी/पी0एस0/16 दिनांक 1.2.2016 से अपेक्षा की गयी कि बिना नगर निगम की अनुमति के बिनियम उक्त नगर निगम की भूमियों का न किया जाय। इसी सम्बन्ध में अपर नगर आयुक्त के पत्रांक 5068/डी/पी0एस0/16 दिनांक 11.2.2016 से उप जिलाधिकारी, एत्मादपुर, आगरा को अवगत कराया गया कि उक्त भूमि का राजकोर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर सरिता यादव से विनिमय की कार्यवाही न की जाय। उक्त नगर निगम की भूमि आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को आश्रयहीन व्यक्तियों के आवास निर्माण हेतु पूर्व में दी जा चुकी है।

उक्त के सम्बन्ध में उप नगर आयुक्त के पत्र दिनांक 1.3.2016 के क्रम में सम्पत्ति अधीक्षक/लिपिक को श्री रामवरन यादव जमीन वेस्टप्राइज की मौके पर दिनांक 3.3.2016 को अपराह्न 2:00बजे मापतोल कराये जाने के लिये मय नजरी नक्शा एवं अभिलेख के साथ मौके पर पहुँच कर तहसील, एत्मादपुर के साथ वार्ता कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में सम्पत्ति अधीक्षक एवं लिपिक मौके पर पहुँचे। स्थल का तहसील के स्टाफ के साथ निरीक्षण किया गया। राजकोर्पोरेशन की डायरेक्टर सरिता यादव द्वारा मौके पर बताया कि खसरा संख्या-821 रकवा 2.5350हे0 मौजा छलेसर, जो राजकोर्पोरेशन की भूमि है, में से **नगर निगम की भूमि खसरा संख्या 1026 रकवा 0.0920हे0 व खसरा संख्या-1027 रकवा 1.121हे0 कुल रकवा 1.213हे0 के बदले इतनी ही भूमि देने हेतु अपनी सहमति देने का आश्वासन दे दिया है।** नगर निगम की भूमि खसरा संख्या-1026 व 1027 जहाँ पूर्व में स्थित थी, वहाँ चारों ओर से कोई भी रास्ता न होने के कारण विकसित नहीं की जा सकी। अब उक्त भूमि के बदले उतनी ही भूमि राजकोर्पोरेशन द्वारा जिस स्थल पर भूमि देने की बात कही गयी है, वह खसरा संख्या-821 रकवा 2.5350हे0 मौजा छलेसर की भूमि है, जो एन0एच0-2 की भूमि पर लगभग 250-300 मीटर की दूरी पर है और उन्होंने अपनी भूमि में से रास्ता देने हेतु सहमत हैं। नगर निगम की उक्तखसरा नम्बरों की भूमि वेस्टप्राईज के बहुत अन्दर है, जिसका कोई रास्ता नहीं है तथा विनिमय से प्राप्त होने वाली भूमि खसरा संख्या-821 रकवा 2.5350 हे0 हाईवे रोड से लगभग 250 से 300 मीटर की दूरी पर है, उसका रास्ता हाईवे से अन्दर जाता है।

नगर निगम की भूमियों का रास्ता न होने के कारण अभी तक उक्त भूमि का प्रयोग नहीं हो सका है। ऐसी परिस्थितियों में नगर निगम की उपरोक्त भूमियों के रास्ता न होने के कारण नगर निगम हित में उक्त भूमियों का विनिमय किया जा सकता है, जिनका भविष्य में उत्तम उपयोग सम्भव है। उपरोक्त भूमियों का विनिमय (दांई ओर संलग्न नक्शे के अनुसार नगर निगम भूमि गुलाबी रंग से दर्शायी गयी है, के बदले में दी जाने वाली भूमि को हरे रंग से दर्शाया गया है) सक्षम अधिकारी/कार्यकारिणीं/सदन की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जाना उचित होगा।

अतः खसरा संख्या-821 रकवा 2.5350हे0 मौजा छलेसर, जो राजकोर्पोरेशन की भूमि है, में से नगर निगम की भूमि खसरा संख्या-1026 रकवा 0.0920हे0 व खसरा संख्या-1027 रकवा 1.121हे0 कुल रकवा 1.213 हे0 के बदले इतनी ही भूमि देने हेतु अपनी सहमति देने का आश्वासन दे दिया है।

अतः उपरोक्त प्रस्ताव कार्यकारिणीं/सदन के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

सर्वश्री अशोक बंसल, जितेन्द्र पाराशर, विजय सिंह, हाजी बिलाल कुरैशी, शोभाराम राठौर, पप्पू उस्मानी, श्रीकृष्ण, मनोज कुमार सौनी, रज़िया सुल्ताना, रजनी माधव आदि सभी सदस्यगण - द्वारा कहा गया कि यह नगर निगम हित में अच्छा विनिमय है। कार्यकारिणी से पारित करते हुए इसे सदन के अनुमोदनार्थ अग्रसारित कर दिया जाये।

निर्णय :- **कार्यकारिणी समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित करते हुए नगर निगम सदन के विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु अग्रसारित करने की संस्तुति की गयी।**

ायुक्त – द्वारा एजेन्डे के बिन्दु–3 बल्केश्वर स्थित नगर निगम मार्केट की 67 दुकानों से किराये की हेतु प्रस्ताव संख्या–3 कार्यकारिणी समिति के समक्ष पढ़ा गया :–

ाव संख्या - 3

कृपया तत्कालीन मुख्य नगर अधिकारी महोदय/उप नगर अधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 17.10.2002 के द्वारा ज़नकपुरी बल्केश्वर कॉलौनी पार्क में सजाई गयी थी। जनकपुरी की सजावट की वजह से पार्क की तीन तरफ बनी नियमित एवं अनियमित दुकानों को तोड़ दिया गया था। जनकपुरी महोत्सव समाप्त होने के बाद वहाँ दुकानदारों को पुनः बसाने की कार्यवाही की गयी और इस सम्बन्ध में कार्यकारिणीं समिति ने दिनांक 5.10.2002 को अध्यक्ष म्युनिसिपल मार्केट बल्केश्वर कॉलौनी, आगरा के प्रार्थना पत्र को प्रस्ताव मानते हुए पारित किया गया तथा निर्णय लिया गया कि इसमें जन भावना जुड़ी है चूंकि नगर निगम सदन की बैठक का समय अभी निर्धारित नहीं है और इसमें समय लग सकता है। उक्त सदन की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रस्ताव पारित करते हुए मुख्य नगर अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि श्री मनमोहन चावला अध्यक्ष, म्युनिसिपल मार्केट बल्केश्वर कॉलौनी आगरा के प्रार्थना पत्र पर सम्बन्धित शर्तों के साथ अनुबन्ध की कार्यवाही करें। प्रस्ताव की छाया प्रति पृष्ठ संख्या-06 पर अवलोकनार्थ संलग्न है। उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में दुकानदारों को 10×8=80 वर्गफीट भूमि दुकानों का निर्माण नक्शे के अनुसार करते हुए रू0 1.50 पैसे प्रति वर्गफीट की दर से 120/- रू0 मासिक किराया निर्धारित किया गया और दुकानदारों के पक्ष में दिनांक 22.10.2002 को अनुबन्ध पंजीकृत की कार्यवाही सम्पन्न की गयी।

इसी बीच श्रम विभाग द्वारा मा0 न्यायालय में एक वाद संख्या-1047/2002 स्टेट ऑफ यूपी0 बनाम् नगर निगम आदि दायर कर स्थगन आदेश दिनांक 2.11.2002 प्राप्त कर लिया, के कारण अग्रिम कार्यवाही रोक दी गयी। न्यायालय का प्रकरण समाप्त होते ही न्यायालय के आदेश के अनुसार अगली कार्यवाही की जानी थी। तत्समय से ही उक्त प्रकरण लम्बित चला आ रहा है और इसी कारण उपरोक्त दुकानों की किराये की मांग, माँग समाहरण रजिस्टर में अंकित नहीं की गयी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में नगर निगम के अधिवक्ता श्री वी0एन0पचौरी से उनकी राय दिनांक 26.11.2015 प्राप्त की गई। उक्त राय के अनुसार **मा0 अपर लघुवाद न्यायाधीश द्वारा दिनांक 30.11.2013 को वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया है।**

अतः उक्त वाद में न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिनांक 2.11.2002 निष्प्रभावी हो गया है और अब नगर निगम द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

बल्केश्वर की दुकानें क्षेत्रफल 10×8=80 वर्गफीट (प्रत्येक) भूमि पर दुकानों का निर्माण नक्शे के अनुसार करते हुए रू0 1.50 पैसे प्रति वर्गफीट की दर से रू0 120/- मासिक किराया निर्धारित किया गया और दुकानदारों के पक्ष में दिनांक 22.10.2002 को अनुबन्ध पंजीकृत कर दिया गया। तत्समय से ही उपरोक्त दुकानों से किराया नगर निगम को प्राप्त नहीं हुआ है। बल्केश्वर की 67 दुकानों से यदि नगर निगम हित में किराये की वसूली की जाय तो रू0 41,849/- (प्रत्येक दुकान) से मार्च 31.3.2016 तक रू0 40,12,222/- की धनराशि प्राप्त होगी।

अतः उपरोक्त दुकानों को उपरोक्तानुसार नियमित करने हेतु प्रस्ताव कार्यकारिणीं समिति के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

सर्वश्री अशोक बंसल, जितेन्द्र पाराशर, विजय सिंह, हाजी बिलाल कुरैशी, शोभाराम राठौर, पप्पू उस्मानी, श्रीकृष्ण, मनोज कुमार सौनी, रज़िया सुल्ताना, रजनी माधव आदि सभी सदस्यगण - द्वारा कहा गया कि उपरोक्त दुकानों के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण एवं अनुबन्ध के सम्बन्ध में कार्यकारिणी समिति को अवगत कराया जाये ताकि उस पर विचार किया जा सके। दुकानदारों द्वारा अतिरिक्त भूमि भी घेर कर अतिक्रमित की गयी होगी तथा जिन दुकानदारों को दुकानें आवंटित की गयी थीं उन्होंने अन्य लोगों को सिकमी किरायेदार रख लिया होगा या दुकानों का अन्य को हस्तान्तरण कर दिया गया होगा अथवा अन्य अवैध कब्जेदार होंगें, इन सब बिन्दुओं की जॉच आवश्यक है तभी अग्रिम कार्यवाही की जाये।

नगर आयुक्त - द्वारा कार्यकारिणी सदस्यों की शंकाओं का समाधान करते हुए नगर निगम की 67 दुकानों जो बल्केश्व आगरा में स्थित हैं, को नियमित करने के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया :-

1. नगर निगम सीमान्तर्गत बल्केश्वर, आगरा में स्थित बल्केश्वर कॉलौनी की भूमि का स्वामित्व श्रम विभाग का था।
2. श्रम विभाग द्वारा उक्त लेवर कॉलौनी जिसमें सीवर, ड्रेन, पार्क, रोड पटरी, वाटर लाइन, सड़क व खुली भूमि का हस्तान्तरण नगर महापालिका वर्तमान में नगर निगम, आगरा को दि0 1.10.1966 में हुआ।
3. बल्केश्वर पार्क में वर्ष 2002 को जनकपुरी सजाई गयी, जिसके फलस्वरूप जन सुविधा की दृष्टि से रोड पटरी पर हुये अतिक्रमण/दुकानों को हटाया गया।
4. जनकपुरी समाप्त होने के पश्चात् तोड़ी गयी दुकानों के सम्बन्ध में दुकानदारों के अनुरोध पर तत्कालीन महापौर तथा मा0 पार्षदों द्वारा कार्यकारिणी समिति के समक्ष अध्यक्ष, म्युनिसिपल मार्केट बल्केश्वर कॉलोनी के प्रार्थना पत्र को प्रस्ताव मानते हुए यह निर्णय लिया गया कि इसमें जन भावना जुड़ी है तथा सदन की स्वीकृति की प्रत्याशा में मुख्य नगर अधिकारी द्वारा श्री मनमोहन चावला, अध्यक्ष, म्युनिसिपल मार्केट, बल्केश्वर, आगरा के प्रार्थना-पत्र पर सम्बन्धित शर्तों के साथ अनुबन्ध की कार्यवाही करें।
5. कार्यकारिणी के उक्त निर्णय के अनुपालन में दुकानदारों को 10x8 वर्गफीट भूमि दुकानों का निर्माण नक्शे के अनुसार करने एवं रु01.50पैसे प्रति वर्ग फीट की दर से रु0 120/- मासिक किराया निर्धारित करते हुए दुकानदारों के पक्ष में दिनांक 22.10.2002 को अनुबन्ध पंजीकृत की कार्यवाही की गयी।
6. श्रम विभाग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में एक वाद संख्या-1047/2002 स्टेट बनाम् नगर निगम आदि दायर कर स्थगन आदेश दिनांक 2.11.2002 को प्राप्त कर लिया, जिसमें श्रम विभाग द्वारा कहा गया कि नगर निगम ने गलत तरीके से दुकानों का आवंटन किया है।
7. स्थगन आदेश प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप नगर निगम द्वारा दिनांक 2.11.2002 से ही किराया नहीं लिया गया तथा न ही डिमान्ड रजिस्टर में डिमाण्ड अंकित की गयी।
8. नगर निगम के अधिवक्ता श्री बी.एन. पचौरी से उक्त प्रकरण में राय दिनांक 26.11.2015 प्राप्त की गई। उक्त राय के अनुसार मा0 अपर लघुवाद न्यायाधीश द्वारा दिनांक 30.11.2013 को वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया है। उक्त वाद में न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिनांक 2.11.02 निष्प्रभावी हो गया है और अब नगर निगम द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने में कोई विधिक बाधा नहीं है।
9. मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इन 67 दुकानदारों को आवंटित भूमि 10x8 के हिसाब से आवंटित की गयी थी। दुकानदारों द्वारा आवंटित भूमि के अतिरिक्त अतिक्रमण करके दुकानों को आगे बढ़ा लिया गया, जिसे अभियान के दौरान तोड़ दिया गया है। वर्तमान में मौके पर आवंटित भूमि के हिसाब से दुकानदार काबिज़ हैं।
10. विधिक राय के अनुसार मौके पर आवंटित क्षेत्रफल 10x8 के हिसाब से प्रत्येक दुकानदार पर 120/- रु0 मासिक किराये की दर के अनुसार 67 दुकानों से अनुबन्ध की तिथि से लेकर दिनांक 31.3.2016 तक प्रत्येक दुकानदार से रु0 41,849/- के हिसाब से रु0 40,12,222/- की धनराशि नगर निगम को प्राप्त होगी।

सर्वश्री अशोक बंसल, जितेन्द्र पाराशर, विजय सिंह, हाजी बिलाल कुरैशी, शोभाराम राठौर, पप्पू उस्मानी, श्रीकृष्ण, मनोज कुमार सौनी, रज़िया सुल्ताना, रजनी माधव आदि सभी सदस्यगण - द्वारा कहा गया कि उपरोक्त दुकानों के सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा दुकानदारों के साथ दिनांक 22.10.2002 को किये गये अनुबन्ध-पत्र (पट्टा) की शर्तों के सम्बन्ध में कार्यकारिणी समिति को अवगत कराया जाये कि उसमें क्या-क्या शर्तें रखी गयी थीं।

आयुक्त - द्वारा कार्यकारिणी सदस्यों की शंकाओं का समाधान करते हुए नगर निगम, आगरा द्वारा 22.10.2002 को ेश्वर, आगरा की दुकानों के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध-पत्र (पट्टा) की शर्तों को पढ़कर कार्यकारिणी समिति को ायां गया :-

अनुबन्ध-पत्र (पट्टा)

कार्यकारिणी समिति के निर्णय/स्वीकृति दिनांक 5.10.2002 मु0न0अ0 के आदेश दि0 19.10.02 के अनुसार आज दिनांक 22.10.2002 को यह अनुबन्ध नगर निगम, आगरा के मुख्य नगर अधिकारी श्री के.एम. लाल या उनके द्वारा नामित/ अधिकृत अधिकारी हरीश चन्द्रा पुत्र श्री मोहन लाल, उप नगर अधिकारी , नगर निगम, आगरा ----------प्रथम पक्ष/ नगर निगम कहलाया जायेगा।

एवम्

आवंटी श्री चन्द्रकान्त चावला पुत्र श्री रामकिशन चावला निवासी 8/1, बल्केश्वर, आगरा किरायेदार (नगर निगम का) द्वितीय पक्ष कहलायेगा के मध्य हुआ।

1. यह कि बल्केश्वर पार्क के पास/सहारे सड़क के किनारे 8 वाई 10 वर्गफीट का भूखन्ड द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष नगर निगम, आगरा द्वारा उपलब्ध करवायेगा। जिसका भूखण्ड नम्बर 12 निम्न सीमांकित (जिसके साथ नक्शा संलग्न किया जा रहा है जो कि लाल रंग से दिखाया गया है।):----------
   East : दुकान नम्बर 13
   West : रोड
   North : दुकान नम्बर 11
   South : रोड

जिस पर द्वितीयपक्ष द्वारा नगर निगम द्वारा उपलब्ध करवायी गयी डिजाइन/नक्शे के अनुसार नगर निगम की ही देखरेख में निर्माण किया जायेगा जिसमें भवन की छत्त एवं भूमि का स्वामित्व नगर निगम, आगरा का होगा।

2. यह कि भवन/भूखन्ड/सम्पत्ति का स्वामित्व नगर निगम, आगरा का होगा।
3. यह कि द्वितीय पक्ष मासिक किराया रुपया 1.50 पैसे प्रति वर्गफीट की दर से अर्थात् 120 रुपया माहवार प्रत्येक माह की सात तारीख तक प्रथमपक्ष के यहॉ सम्पत्ति विभाग, नगर निगम, आगरा में जमा करेगा। इस तारीख तक जमा न होने की दशा में बैन्क दर पर ब्याज देनी होगी तथा दो माह का किराया अग्रिम जमा करना होगा।
4. यह कि आवंटन कब्जा देने के दिनांक से 15 वर्ष की अवधि के लिये होगा तथा शासनादेशानुसार किराये में बृद्धि की जावेगी। 15 वर्ष की अवधि के पश्चात् पुनः रिनुअल की कार्यवाही करनी होगी।
5. यह कि सड़क की चौड़ाई व अन्य राजकीय अथवा नगर निगम, आगरा की किसी भी योजना के कार्यान्वित हेतु कब्जा वापिस कभी भी लिया जा सकता है।
6. यह कि दुकानों का हस्तान्तरण मुख्य नगर अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। यदि द्वितीय पक्ष बिना अनुमति के दुकान का हस्तान्तरण किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में कर देगा तो द्वितीय पक्ष का आवंटन मुख्य नगर अधिकारी, आगरा द्वारा स्वतः ही समाप्त समझा जावेगा।
7. यह कि अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर द्वितीय पक्ष का आवंटन समाप्त कर दिया जावेगा। आवंटन निरस्त करने का अधिकार मुख्य नगर अधिकारी, आगरा में निहित होगा।
8. यह कि किरायेदारी 22.10.2002 से चालू मानी जावेगी।

दस्तावेज पर दोनों पक्षों के जो फोटो चस्पा किये गये हैं उनके हस्ताक्षर व फोटूओं की शनाख़्त इस दस्तावेज के गवाहानों ने की है।

अतः यह अनुबन्ध-पत्र (पट्टा व म्याद् 15 साल के) बाद सुनने व समझने व जुमला मजमून के पढ़ने के बाद होश हवास में विला खाये पीये किसी मादक द्रव्य के लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे तहरीर तारीख 22.10.2002 बइकरार मुकिर के कथानुसार वमसौदा दिनेश गर्ग दस्तावेज लेखक बी-36, भगवान नगर, बल्केश्वर, आगरा ने कम्पयूटर द्वारा टाइप कराया।

गवाह : चन्द्रकासिंह, अमीन, नगर निगम, आगरा

गवाह : मनमोहन चावला पुत्र श्री रामकिशन चावला, निवासी 39/4, बल्केश्वर क्वाटर, आगरा

रजिस्ट्री दिनांक 22.10.2002 को बही नम्बर 688 61/70 पृष्ठ संख्या 4289 पर चस्पा की गयी।

सर्वश्री अशोक बंसल, जितेन्द्र पाराशर, विजय सिंह, हाजी बिलाल कुरैशी, शोभाराम राठौर, पप्पू उस्मानी, श्रीकृष्ण, मनोज कुमार सौनी, रज़िया सुल्ताना, रजनी माधव आदि सभी सदस्यगण - द्वारा कहा गया कि नगर निगम द्वारा जिन दुकानदारों के साथ अनुबन्ध-पत्र (पट्टा) पंजीकृत किया गया है उन मूल पट्टेदार दुकानदारों से किराये की धनराशि जमा करा ली जाये। जिन मूल पट्टेदार दुकानदारों की मृत्यु हो चुकी है उनके अधिकृत वारिसान/दुकानदारों से किराया जमा कराया जाये और यदि किसी मूल पट्टेदार दुकानदार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को बिना नगर निगम की अनुमति के दुकान हस्तान्तरित कर दी गयी है तो उससे किराया नहीं जमा कराया जाये क्योंकि पट्टे मे दी गई शर्त के अनुसार उसका आवन्टन स्वतः ही निरस्त हो चुका है। पट्टे में दी गयी शर्तों का अनुपालन कराया जाये।

निर्णय :- **कार्यकारिणी समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित करते हुए यह निर्देशित किया गया कि नगर निगम द्वारा जिन दुकानदारों के साथ अनुबन्ध-पत्र (पट्टा) पंजीकृत कराया गया है उन मूल पट्टेदार दुकानदारों से किराये की धनराशि जमा करा ली जाये। जिन मूल पट्टेदार दुकानदारों की मृत्यु हो गयी है उनके अधिकृत वारिसान/दुकानदारों से किराया जमा कराया जाये और यदि किसी मूल पट्टेदार दुकानदार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को बिना नगर निगम की अनुमति के दुकान हस्तान्तरित कर दी गयी है तो उससे किराया जमा नहीं कराया जाये क्योंकि पट्टे में दी गई शर्त के अनुसार उसका आवन्टन स्वतः ही निरस्त हो चुका है। पट्टे में दी गयी शर्तों का अनुपालन कराया जाये।**

<u>प्रस्ताव संख्या पूरक – 1</u> <u>प्रस्तावक – श्री राकेश जैन, पार्षद</u>

बल्केश्वर–कमला नगर कासिंग चौराहे का नाम भगवान महावीर चौक के नाम से कर दिया जाये, क्योंकि कमला नगर, बल्केश्वर व उसके आस पास के क्षेत्र में हजारों की संख्या में जैन परिवार निवास करते हैं तथा उक्त चौराहे का सौन्दर्यीकरण करने के लिये जैन मिलन, महावीर उत्तरी, कमलानगर जैन मिलन, जनकल्याण एवं बल्केश्वर के संयुक्त प्रयास से उक्त चौराहे का नाम महावीर चौक करने पर चौराहे का सौन्दर्यीकरण करा दिया जायेगा।

अतः नगर निगम कार्यकारिणी यह निश्चय करती है कि बल्केश्वर–कमलानगर कासिंग चौराहे का नाम भगवान महावीर चौक कर दिया जायें। तदनुसार नगर आयुक्त महोदय को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करती है।

श्री राकेश जैन, उप सभापति – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष पढ़ा गया।

सर्वश्री अशोक बंसल, जितेन्द्र पाराशर, विजय सिंह, हाजी बिलाल कुरैशी, शोभाराम राठौर, पप्पू उस्मानी, श्रीकृष्ण, मनोज कुमार सौनी, रज़िया सुल्ताना, रजनी माधव आदि सभी सदस्यगण – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया गया।

निर्णय :– **कार्यकारिणी समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव को इस शर्त के साथ पास किया गया कि अन्तिम रूप से इस प्रस्ताव पर नगर निगम सदन को निर्णय लेना है, इसमें सौन्दर्यीकरण का विस्तृत विवरण सदन के समक्ष प्रस्तुत करें ताकि नगर निगम सदन को निर्णय लेने में आसानी हो सके।**

संख्या पूरक – 2 **प्रस्तावक – श्री राकेश जैन, पार्षद**

छत्ता जोन–4 वार्ड सं.–3 में जल संस्थान आवासीय परिसर में क्षत्रिय सेना सदन के निकट नाली इण्टरलोकिंग फर्श का निर्माण कार्य होना अति आवश्यक है। वर्तमान में यहॉ की स्थिति बहुत खराब है।

अतः नगर निगम की कार्यकारिणी यह निश्चय करती है। कि जल संस्थान आवासीय परिसर में क्षत्रिय सेवा सदन के निकट नाली एवं इण्टर लोकिंग फर्श का निर्माण कार्य कराया जाये। नगर आयुक्त को निर्देश देती है। उपरोक्त कार्य को कराया जाये।

श्री राकेश जैन, उप सभापति – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष पढ़ा गया।

सर्वश्री अशोक बंसल, जितेन्द्र पाराशर, विजय सिंह, हाजी बिलाल कुरैशी, शोभाराम राठौर, पप्पू उस्मानी, श्रीकृष्ण, मनोज कुमार सौनी, रज़िया सुल्ताना, रजनी माधव आदि सभी सदस्यगण – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया गया।

निर्णय :– कार्यकारिणी समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया ।

प्रस्ताव संख्या पूरक – 3 **प्रस्तावक – श्री राकेश जैन, पार्षद**

हरीपर्वत जोन–1 वार्ड सं.–67 में मुख्य मार्ग की सड़क जर्जर हो गयी है। अशोफा तिराहे से लेकर गैलाना तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य होना अति आवश्यक है। यहॉ की सड़क की स्थिति बहुत ही खराब है।

अतः नगर निगम की कार्यकारिणी यह निश्चय करती है। अशोफा तिराहे से लेकर गैलाना तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य जनहित में होना अति आवश्यक है।

नगर आयुक्त को निर्देश देती है। उपरोक्त सड़क निर्माण कार्य को शीघ्र कराया जाये।

श्री राकेश जैन, उप सभापति – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष पढ़ा गया।

सर्वश्री अशोक बंसल, जितेन्द्र पाराशर, विजय सिंह, हाजी बिलाल कुरैशी, शोभाराम राठौर, पप्पू उस्मानी, श्रीकृष्ण, मनोज कुमार सौनी, रज़िया सुल्ताना, रजनी माधव आदि सभी सदस्यगण – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया गया।

निर्णय :– कार्यकारिणी समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया ।

प्रस्ताव संख्या पूरक – 4 **प्रस्तावक – हाजी बिलाल कुरैशी**

मैं आपका ध्यान आगरा नगर निगम में सोनी एलाईट सर्विसेज द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्य करते हैं, इस फर्म को आगरा नगर निगम द्वारा ज्यादा भुगतान किया जा रहा है, अगर नगर निगम, आगरा सभी कम्प्यूटर ऑपरेटरों को संविदा पर रख ले तो नगर निगम, आगरा को काफी फायदा होगा और जो नुकसान होता आया है वह उससे बच जायेगा।

अतः कार्यकारिणी नगर आयुक्त को हुक्म देती है कि आगरा नगर निगम में कार्यरत समस्त कम्प्यूटर ऑपरेटरों को संविदा पर रख लिया जाये, जिससे नगर निगम, आगरा नुकसान से बच सके और उसे फायदा हो।

हाजी बिलाल कुरैशी, सदस्य – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष पढ़ते हुए इसके समर्थन में कहा गया कि उक्त फर्म द्वारा लगभग रु0 14 हजार प्रति कर्मचारी नगर निगम से लिये जा रहे हैं और कम्प्यूटर ऑपरेटर को मात्र 5 हजार रुपये दिये जा रहे हैं। नगर निगम में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों का शोषण रुकना चाहिए। इन्हें नगर निगम संविदा पर रखकर सीधे भुगतान करने की कार्यवाही करे।

नगर आयुक्त – द्वारा अवगत कराया गया कि किसी भी रूप में किसी भी कर्मचारी को भर्ती करने के लिए शासन को अधिकार है, नगर निगम को नहीं।

निर्णय :– **कार्यकारिणी समिति द्वारा विचारोपरान्त उपरोक्त प्रस्ताव ड्रॉप किया गया।**

हाजी बिलाल कुरैशी, सदस्य – द्वारा कहा गया कि कुछ नये कर्मचारियों द्वारा मा0 पार्षदों का सम्मान नहीं किया जाता है उन्हें कुर्सी भी नहीं दी जाती है, इसका ध्यान रखा जाये।

मा0 महापौर – नगर आयुक्त को निर्देश दिये कि माननीय पार्षदगण जन प्रतिनिधि है, इनका सम्मान होना चाहिए भविष्य में कोई गलती न करें।

प्रस्ताव संख्या पूरक – 5 **प्रस्तावक – हाजी बिलाल कुरैशी**

मैं आपका ध्यान 7 व 8 जून, 2016 से रमजान शरीफ का महीना शुरू होने जा रहा है। जो पूरे 30 दिन चलेगा। इस महीने में सभी लोग रोज़े रखेंगें। मुस्लिम मौहल्लों में जो स्ट्रीट लाईटें बन्द पड़ी हैं उन्हें रोशन करना, सफाई व्यवस्था सही तरीके से कराना, मस्जिदो के पास रोज चूने का छिड़काव करना, पानी की सप्लाइ करना, हैन्ड पम्प रिबोर कराना व सीवर लाईनें साफ कराना बहुत जरूरी है। मुस्लिम मौहल्लों की टूटी–फूटी सड़कों का निर्माण होना भी बहुत जरूरी है।

अतः कार्यकारिणी नगर आयुक्त को हुक्म देती है कि ऊपर दिये सभी कार्यों का पूरे महीने कराने का आदेश प्रदान करें, जिससे रोज़ेदारों को कोई परेशानी न हो सके।

हाजी बिलाल कुरैशी, सदस्य – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष पढ़कर अपने विचार व्यक्त किये गये।

सर्वश्री अशोक बंसल, जितेन्द्र पाराशर, विजय सिंह, शोभाराम राठौर, पप्पू उस्मानी, श्रीकृष्ण, मनोज कुमार सौनी, रज़िया सुल्ताना, रजनी माधव आदि सभी सदस्यगण – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा गया कि रमजान के पवित्र माह में जामा मस्जिद के आस–पास के इलाकों एवं मुल्लिम बाहुल्य क्षेत्र में सड़क मरम्मत, सफाई व्यवस्था चूने का छिड़काव, मार्ग प्रकाश व्यवस्था, पेय जल आपूर्ति आदि की व्यवस्थायें सुनिश्चित कराई जायें।

निर्णय :– कार्यकारिणी समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास करते हुए निर्देशित किया गया कि रमजान शरीफ माह को दृष्टिगत रखते हुए सभी कार्यों को प्राथमिकता पर कराया जाये। जामा मस्जिद एवं अन्य आस–पास के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों एवं मुस्लिम बस्तियों में जहॉ आवागमन के मार्ग क्षतिग्रस्त हो गये हों वहॉ तत्काल युद्ध स्तर पर मार्ग पैच मरम्मत का कार्य कराया जाये, मुख्य अभियन्ता स्थलीय निरीक्षण करके इनका चिन्हीकरण कर लें और आवश्यक कार्यवाही करायें। उप नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया कि वे नियमित रूप से सफाई कार्य और चूने का छिड़काव कराया जाना सुनिश्चित करें। महाप्रबन्धक, जल कल को यह निर्देश दिये गये कि शुक्रवार के दिन जुमा की नमाज पर वुजू आदि करने के लिए प्रमुख मस्जिदों पर पानी के टैंकर इत्यादि की व्यवस्था करा दी जाये तथा पूरे रमज़ान माह में नियमित रूप से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाये व मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में पेयजल टैंकरों की व्यवस्था कराई जाये तथा पेयजल टैंकर व्यवस्था हेतु मोबाइल नं0 भी दिये जायें। प्रभारी, मार्ग प्रकाश एवं अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि मार्ग प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाये।

प्रस्ताव संख्या पूरक – 6 **प्रस्तावक – हाजी बिलाल कुरैशी**

मैं आपका ध्यान कुबेरपुर स्लॉटर हाउस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक बनाया गया था और आदेश दिया गया था कि इसमें आगरा शहर की भैंसें काटी जायेगी मगर अफसोस की बात यह है कि नगर निगम, आगरा ने इसको प्राईवेट कम्पनी को दे रखा है और उससे लाखों रुपये कमाई की जाती है। आगरा शहर की एक भी भैंस इसमें नहीं काटी जाती है। आगरा शहर के कमेलदार शहर के हर मौहल्लों में भैंसें काटते हैं, जिससे शहर में महामारी फैल रही है। मुस्लिम मौहल्लों में जीना दूभर हो गया है। नगर निगम, आगरा को जनता की कोई फिक्र नहीं है। चाहे जनता मरे या फिर जिन्दा रहे। उस को तो अपनी आमदनी से मतलब है। शहर के मुस्लिम मौहल्लों जिसमें ढोलीखार, घटिया मॉमू–भांजा, नाई की मण्डी, शाहगंज, आलमगंज, पक्की सराय में खुले आम भैसें काटी जाती हैं। भैंस का अलाब नाले–नालियों में डाला जाता है। जिसकी वजह से गम्भीर बीमारी फेल रही है। नगर निगम, आगरा में जब से स्लॉटर हाउस कुबेरपुर में बना है, अभी तक शहर के कमेलदारों को स्लॉटर हाउस भेजने का कोई भी प्रयास नहीं किया है। जब मैंने उन कमेलदारों से पूछा तो उन्होंने बताया कि स्लॉटर हाउस पर जाते हैं मगर कम्पनी वाले उनकी भैंसें नहीं काटते हैं। वह अपनी भैसें मँगाकर काटते हैं, जिससे उन्हें रोज करोड़ों रुपये की कमाई होती है। जब स्लॉटर हाउस शुरू हुआ था तब एक भैंस काटने की फीस 50 रुपये थी, जिससे गरीब कमेलदार अपनी भैंस कटवाकर रोजी–रोटी कमाता था।

अतः कार्यकारिणी नगर आयुक्त को हुक्म देती है कि आगरा शहर में भैंसे काटने पर रोक लगाकर भैसों को कुबेरपुर स्लॉटर हाउस काटने को भेजने का इन्तज़ाम करें और यह भी हुक्म देती है कि नगर निगम, आगरा ने कम्पनी से एक भैंस काटने की क्या फीस मुकर्रर है। वह भी बताने का कष्ट करें, जिससे मुस्लिम मौहल्लों को बीमारी व महामारी से बचाया जा सके।

हाजी बिलाल कुरैशी, सदस्य – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष पढ़कर अपने विचार व्यक्त किये गये।

सर्वश्री अशोक बंसल, जितेन्द्र पाराशर, विजय सिंह, शोभाराम राठौर, पप्पू उस्मानी, श्रीकृष्ण, मनोज कुमार सौनी, रज़िया सुल्ताना, रजनी माधव आदि सभी सदस्यगण – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया गया।

निर्णय :– **कार्यकारिणी समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास करते हुए पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।**

प्रस्ताव संख्या पूरक – 7 **प्रस्तावक – हाजी बिलाल कुरैशी**

मैं आपका ध्यान छत्ता जोन के रकाबगंज वार्ड में ढोलीखार रोड पुलिया पर बने अवैध डलावघर की ओर दिलाना चाहता हूँ, यह रोड काफी व्यस्त रोड है, इसी रोड से होकर देशी व विदेशी पर्यटक शाही मस्जिद, मनकामेश्वर मन्दिर, आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन, बिजलीघर बस स्टैन्ड लाल किया व ताजमहल जाते हैं। रोड पर डलावघर होने की वजह से गन्दगी ज्यादा होती है और पर्यटकों में अच्छा संदेश नहीं जाता है और आगरा की छवि खराब होती है।

अतः कार्यकारिणी नगर आयुक्त को हुक्म देती है कि पुलिया पर बने ढोलीखार रोड से डलावघर को तुरन्त हटवायें और वहाँ पर नगर निगम, आगरा की ओर से एक बोर्ड लगायें जिसमें यह लिखा जाये कि यहाँ कूड़ा डालना गैर कानूनी है।

हाजी बिलाल कुरैशी, सदस्य – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष पढ़ा गया।

सर्वश्री अशोक बंसल, जितेन्द्र पाराशर, विजय सिंह, शोभाराम राठौर, पप्पू उस्मानी, श्रीकृष्ण, मनोज कुमार सौनी, रज़िया सुल्ताना, रजनी माधव आदि सभी सदस्यगण – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया गया।

निर्णय :– **कार्यकारिणी समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में विचारोपरान्त मुख्य अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि वे स्थलीय निरीक्षण कर इन्फोर्समेन्ट कराया जाना सुनिश्चित करें।**

प्रस्ताव संख्या पूरक – 8

प्रस्तावक – हाजी बिलाल कुरैशी

मैं आपका ध्यान ढोलीखार में मोरछली नाले की सफाई की ओर दिलाना चाहता हूँ कि यह नाला घटिया मामूँ भांजा कासिम वाली मस्जिद से मोरछली के पेड़ तक व ढोलीखार पुलिया से मोरछली होते हुए रेलवे पुल तक भरा पड़ा है और उसके ऊपर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। उसकी वजह से भी सफाई नहीं हो पा रही है और बरसात के दिनों में पानी लोगों के घरों में भर जाता है।

अतः कार्यकारिणी नगर आयुक्त को हुक्म देती है कि नाले के ऊपर से अतिक्रमण हटाकर बरसात से पहले पूरे नाले की सफाई करायी जाये, जिससे जनता को राहत मिल सके।

हाजी बिलाल कुरैशी, सदस्य – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष पढ़कर अपने विचार व्यक्त किये गये।

सर्वश्री अशोक बंसल, जितेन्द्र पाराशर, विजय सिंह, शोभाराम राठौर, पप्पू उस्मानी, श्रीकृष्ण, मनोज कुमार सौनी, रज़िया सुल्ताना, रजनी माधव आदि सभी सदस्यगण – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया गया।

निर्णय :– **कार्यकारिणी समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में विचारोपरान्त मुख्य अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि वे स्थलीय निरीक्षण कर इन्फोर्समेन्ट कराया जाना सुनिश्चित करें।**

प्रस्ताव संख्या पूरक – 9

प्रस्तावक – हाजी बिलाल कुरैशी

मैं आपका ध्यान सदर भट्टी चौराहे से हाथीघाट व बिजलीघर की ओर दिलाना चाहता हूँ कि इस रोड पर ट्रैफिक का दबाब ज्यादा होने के वजह से हर वक्त जाम लगा रहता है और जनता को काफी दिक्कत होती है।

अतः कार्यकारिणी नगर आयुक्त को हुक्म देती है कि सदर भट्टी चौराहे से हाथीघाट व बिजलीघर तक सड़क के बीच में लोहे की ग्रिल लगा दें ताकि इस रोड पर जाम नहीं लग सकेगा।

हाजी बिलाल कुरैशी, सदस्य – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष पढ़कर अपने विचार व्यक्त किये गये।

सर्वश्री अशोक बंसल, जितेन्द्र पाराशर, विजय सिंह, शोभाराम राठौर, पप्पू उस्मानी, श्रीकृष्ण, मनोज कुमार सौनी, रज़िया सुल्ताना, रजनी माधव आदि सभी सदस्यगण – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया गया।

निर्णय :– **कार्यकारिणी समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में विचारोपरान्त मुख्य अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि वे स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।**

संख्या पूरक – 10 **प्रस्तावक – हाजी बिलाल कुरैशी**

मैं आपका ध्यान नगर निगम, आगरा द्वारा पार्किंग के ठेके की ओर दिलाना चाहता हूँ कि नगर निगम, आगरा द्वारा रेट मुकर्रर की गई ठेकेदार उससे कई ज्यादा रकम वसूल रहे हैं, जिससे जनता में रोष फैल रहा है। बस, कार, स्कूटर, मोटर साईकिल, रिक्शा व साईकिल नगर निगम द्वारा क्या रेट मुकर्रर की गई है वह ली जानी चाहिए। अगर ठेकेदार इसके खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए और हर पार्किंग पर रेट का बोर्ड लगाया जाये ताकि जनता से कोई ज्यादा रकम वसूल नहीं कर पाये।

अतः कार्यकारिणी नगर आयुक्त को हुक्म देती है कि सब पार्किंग पर नगर निगम द्वारा जो रेट मुकर्रर की गई उसके बोर्ड लगाया जाये।

हाजी बिलाल कुरैशी, सदस्य – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष पढ़कर अपने विचार व्यक्त किये गये।

सर्वश्री अशोक बंसल, जितेन्द्र पाराशर, विजय सिंह, शोभाराम राठौर, पप्पू उस्मानी, श्रीकृष्ण, मनोज कुमार सौनी, रज़िया सुल्ताना, रजनी माधव आदि सभी सदस्यगण – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया गया।

निर्णय :– **कार्यकारिणी समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में विचारोपरान्त निर्देशित किया गया कि पार्किंग ठेका स्थलों का आकस्मिक स्थलीय निरीक्षण कराया जाये तदुपरान्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।**

प्रस्ताव संख्या पूरक – 11 **प्रस्तावक – हाजी बिलाल कुरैशी**

मैं आपका ध्यान वार्ड संख्या–44 की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे वार्ड में पानी की पाईप लाईन पुरानी हो गई है, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई भी नहीं हो पाती है।

अतः कार्यकारिणी नगर आयुक्त को हुक्म देती है कि वार्ड संख्या–44 में पानी की पाईप लाईन बदलें ताकि जनता को पानी की सप्लाई मिल सके।

हाजी बिलाल कुरैशी, सदस्य – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष पढ़कर अपने विचार व्यक्त किये गये।

सर्वश्री अशोक बंसल, जितेन्द्र पाराशर, विजय सिंह, शोभाराम राठौर, पप्पू उस्मानी, श्रीकृष्ण, मनोज कुमार सौनी, रज़िया सुल्ताना, रजनी माधव आदि सभी सदस्यगण – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया गया।

निर्णय :– **कार्यकारिणी समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में विचारोपरान्त महाप्रबन्धक, जलकल को निर्देशित किया गया कि स्थलीय निरीक्षण कर इसकी जॉच करें और समस्या के निराकरण हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।**

प्रस्ताव संख्या पूरक – 12 **प्रस्तावक – हाजी बिलाल कुरैशी**

मैं आपका ध्यान सदर भट्टी चौराहे से मदीना होटल तक दिलाना चाहता हूँ कि इस रोड पर सीवर नहीं है जिसकी वजह से जनता को दिक्कत हो रही है। घरों का शौच नालियों में बहता रहता है।

अतः कार्यकारिणी नगर आयुक्त को हुक्म देती है कि सदर भट्टी चौराहे से मदीना होटल तब सीवर लाईन डाली जाये।

हाजी बिलाल कुरैशी, सदस्य – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष पढ़कर अपने विचा व्यक्त किये गये।

सर्वश्री अशोक बंसल, जितेन्द्र पाराशर, विजय सिंह, शोभाराम राठौर, पप्पू उस्मानी, श्रीकृष्ण, मनोज कुमार सौनी, रज़िया सुल्ताना, रजनी माधव आदि सभी सदस्यगण – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया गया।

निर्णय :– **कार्यकारिणी समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में विचारोपरान्त महाप्रबन्धक, जलकल को निर्देशित किया गया कि स्थलीय निरीक्षण कर इसकी जॉच करें और समस्या के निराकरण हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।**

<u>प्रस्ताव संख्या पूरक – 13</u> **<u>प्रस्तावक – श्री राकेश जैन</u>**

छत्ता जोन–4 वार्ड संख्या–85 में हाथीघाट मुख्य मार्ग से लेकर यमुना किनारे तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क एवं सड़क के दोनों साइडों में इण्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य जनहित में होना अति आवश्यक है। इस मार्ग से हजारों श्रद्धालु घाट पर मूर्ति विसर्जन एवं पूजा करने जाते हैं।

अतः नगर निगम की कार्यकारिणी यह निश्चय करती है कि हाथीघाट मुख्य मार्ग से लेकर जमुना किनारे तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क एवं सड़क के दोनों ओर साइडों में इण्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य जनहित में शीघ्र कराया जाये।

नगर आयुक्त को निर्देश देती है, उपरोक्त निर्माण कार्य को जनहित में शीघ्र कराया जाये।

श्री राकेश जैन, उप सभापति – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष पढ़ा गया।

निर्णय :– **कार्यकारिणी समिति द्वारा विचारोपरान्त उपरोक्त प्रस्ताव ड्रॉप किया गया ।**

<u>प्रस्ताव संख्या पूरक – 14</u> **<u>प्रस्तावक – श्री राकेश जैन</u>**

छत्ता जोन–4 वार्ड सं0–85 में हाथीघाट पर सुलभ शौचालय का निर्माण कार्य जनहित में कराना अति आवश्यक है। क्यों कि यहॉ पर विशेष पर्व जैसे – गणेश विसर्जन एवं दुर्गा विसर्जन पर हजारों की संख्या में श्रृद्धालु एकत्र हो जाते हैं। यहॉ पर श्रृद्धालुओं के लिये शौच एवं टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं है।

अतः नगर निगम की कार्यकारिणी यह निश्चय करती है कि हाथीघाट पर सुलभ शौचालय का निर्माण कार्य जनहित में शीघ्र कराया जाये।

नगर आयुक्त को निर्देश देती है, उपरोक्त निर्माण कार्य को जनहित में शीघ्र कराया जाये।

श्री राकेश जैन, उप सभापति – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष पढ़ा गया।

निर्णय :– **कार्यकारिणी समिति द्वारा विचारोपरान्त उपरोक्त प्रस्ताव ड्रॉप किया गया ।**

संख्या पूरक – 15 **प्रस्तावक – श्री श्री कृष्ण**

हरीपर्वत जोन–1 वार्ड सं0 67 नीरज नगर में शंकर लाल के मकान से गुप्ता जी के मकान तक सड़क काफी जर्जर हो गई है जनहित में सड़क निर्माण कार्य हाना अति आवश्यक है। अतः नगर निगम कार्यकारिणी यह निश्चय करती है नीरज नगर में शंकर लाल के मकान से गुप्ता जी के मकान तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य कराने को नगर आयुक्त को निर्देशित करती है।

श्री श्री कृष्ण, सदस्य – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष पढ़ा गया।

सर्वश्री अशोक बंसल, जितेन्द्र पाराशर, विजय सिंह, शोभाराम राठौर, पप्पू उस्मानी, हाजी बिलाल कुरैशी, मनोज कुमार सौनी, रज़िया सुल्ताना, रजनी माधव आदि सभी सदस्यगण – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया गया।

निर्णय :– **कार्यकारिणी समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित करते हुए मुख्य अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि स्थलीय निरीक्षण कर इसकी जॉच कर लें और आवश्यकतानुसार कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें।**

प्रस्ताव संख्या पूरक – 16 **प्रस्तावक – श्री श्री कृष्ण**

वार्ड–3 के अन्तर्गत नगला धनी नाले (शाही कैनाल) की साइड पटरी सुल्तान गंज पुलिया एन.एच.–2 के पास से महाराणा प्रताप नगर क्रोसिंग तक काफी गड्डा युक्त एवं कच्ची है राहगीर रोजाना घायल होते रहती हैं, जनहित में इस साइड पटरी का इण्टरलॉकिंग कार्य कराना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः नगर निगम कार्यकारिणी यह निश्चय करती है कि एन.एच.–2 सुल्तानगंज पुलिया (लेफ्ट साइड) से महाराणा प्रताप नगर क्रोसिंग तक साइड पटरी का इण्टरलॉकिंग कार्य कराने का नगर आयुक्त को निर्देशित करती है।

श्री श्री कृष्ण, सदस्य – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष पढ़ा गया।

सर्वश्री अशोक बंसल, जितेन्द्र पाराशर, विजय सिंह, शोभाराम राठौर, पप्पू उस्मानी, हाजी बिलाल कुरैशी, मनोज कुमार सौनी, रज़िया सुल्ताना, रजनी माधव आदि सभी सदस्यगण – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया गया।

निर्णय :– **कार्यकारिणी समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित करते हुए मुख्य अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि स्थलीय निरीक्षण कर इसकी जॉच कर लें और आवश्यकतानुसार कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें।**

प्रस्ताव संख्या पूरक – 17 **प्रस्तावक – श्री श्री कृष्ण**

नगर निगम वार्ड सं0 3 में मोतिया की बगीची स्टाफ क्वार्टर की गलियॉ कच्ची एवं गड्डायुक्त हैं जन समुदाय को भारी परेशानी हो रही है जनहित में इन गलियों का सर्वे करा के इन्टरलौकिंग कार्य कराना अति आवश्यक है।

अतः नगर निगम कार्यकारिणी यह निश्चय करती है कि मोतिया की बगीची स्टाफ क्वार्टर की गलियों का इन्टरलॉकिंग कार्य कराने का नगर आयुक्त को निर्देशित करती है।

श्री श्री कृष्ण, सदस्य – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष पढ़ा गया।

निर्णय :– **कार्यकारिणी समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव विचारोपरान्त कार्यकारिणी की वित्तीय सीमा से कम का होने के कारण ड्रॉप किया गया।**

प्रस्ताव संख्या पूरक – 18 **प्रस्तावक – श्री श्री कृष्ण**

आगरा महानगर के अन्तर्गत पेय जल की भारी समस्या है, कारण अवैध समरसेविल पम्पों द्वारा जल दोहन। शहर के अन्दर भारी मात्रा में समरसेविलें लगाई जा रही हैं इनसे भारी पानी का दुरुपयोग हो रहा है एक जग पानी भरने को हजारों लीटर पानी वर्वाद कर दिया जाता है। मैंने कई समरसेविलों से विना उपयोग के पानी बहता देखा है। वैसे तो वर्षा की कमी से जल स्तर गिर ही रहा है लेकिन समरसेविल पम्पों के जल दोहन के कारण भी भारी जल स्तर गिर रहा है।

जनहित एवं पर्यावरण सम्बन्धी सुरक्षा हेतु समरसेविल पम्पों पर अंकुश एवं इसके मानक तैयार हों समरसेविल चिन्हित करके इनमें मीटर प्रणाली लगाई जाय, व्यर्थ पानी नष्ट करने को रोका जाये।

अतः नगर निगम कार्यकारिणी यह निश्चय करती है कि समरसेविल पम्प मानक के आधार पर उपयोग कराने का नगर आयुक्त को निर्देशित करती है।

श्री श्री कृष्ण, सदस्य – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष पढ़ा गया।

निर्णय :– **कार्यकारिणी समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त नीतिगत न पाते हुए ड्रॉप कर दिया गया।**

प्रस्ताव संख्या पूरक – 19 **प्रस्तावक – श्री मनोज कुमार सौनी**

आगरा शहर में भीषण गर्मी पड़ रही है, तापमान 46, 47 डिग्री तक पहुँच गया है। इस गर्मी की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, पूरा शहर पानी के लिए त्राहि–त्राहि कर रहा है। जलकल व जलनिगम विभाग सो रहा है। शहर के किसी भी वार्ड में हैण्ड पम्प रिबोर नही हो रहे हैं और रिपेयर भी नहीं हो रहे हैं तथा नगर निगम परिसर में लगा हैन्डपम्प पिछले 10 वर्षों से खराब है तथा ठण्डे पानी की मशीन पिछले दो माह से खराब है। यहाँ आने वाले आगन्तुक व शहर की जनता पानी के लिए तरस रहीं है। जनहित में सभी पार्षदों के वार्डों में 10–10 हैण्डपम्प रिबोर जनहित में करायें तथा हैण्डपम्प रिपेयर भी करायें।

अतः कार्यकारिणी नगर आयुक्त को निर्देशित करती है। सभी पार्षदगणों के वार्डों में 10–10 हैण्डपम्प रिवोर कराये तदानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

श्री मनोज कुमार सौनी, सदस्य – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष पढ़ा गया।

सर्वश्री अशोक बंसल, जितेन्द्र पाराशर, विजय सिंह, शोभाराम राठौर, पप्पू उस्मानी, हाजी बिलाल कुरैशी, श्री कृष्ण, रज़िया सुल्ताना, रजनी माधव आदि सभी सदस्यगण – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया गया।

निर्णय :– **कार्यकारिणी समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित करते हुए मुख्य अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि ठन्डे पानी की मशीन लगवा दी जाये, आर.ओ. प्लान्ट के सम्बन्ध में उसकी मैन्टीनेन्स के लिए रि–टैन्डर करने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाये। साथ ही नगर निगम के मेन गेट पर पेय जल ए.टी.एम. मशीन लगाने हेतु भी मुख्य अभियन्ता को निर्देशित किया गया।**

ताव संख्या पूरक – 20

प्रस्तावक – श्री मनोज कुमार सौनी

कक्ष–32 मलिन बस्ती पीर कल्यानी में मिश्रित घनी आवादी वाली बस्ती है। यहॉ स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक सार्वजनिक शौचालय बनाया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है लेकिन इसकी सीवर लाईन लगभग 60 वर्षों पहले डाली गयी थी जो कि पूरी तरह से भष्ट है। उसकी माप 3 या 4 इंच है। उस समय आवादी 1000–1200 रही होगी लेकिन आज 10,000 से भी ज्यादा आवादी होगी, जो सीवर लाईन भष्ट पड़ी है। शौचालय से लेकर पीर कल्यानी तिक्रोनिया तक तथा विनोद बाबा घर से जव्वार भाई तक दौनों जगह 8 इंच सीवर लाईन जनहित में डाली जाये।

अतः कार्यकारिणी नगर आयुक्त को निर्देशित करती है, जनहित में घनी आवादी को देखते हुए नई सीवर लाईन डाली जाये तदानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

श्री मनोज कुमार सौनी, सदस्य – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष पढ़ा गया।

सर्वश्री अशोक बंसल, जितेन्द्र पाराशर, विजय सिंह, शोभाराम राठौर, पप्पू उस्मानी, हाजी बिलाल कुरैशी, श्री कृष्ण, रज़िया सुल्ताना, रजनी माधव आदि सभी सदस्यगण – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया गया।

निर्णय :– कार्यकारिणी समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित करते हुए मुख्य अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि पीर कल्यानी में सेफ्टी टेंक बनवाकर सार्वजनिक शौचालय से जुड़वा दिया जाये।

प्रस्ताव संख्या पूरक – 21

प्रस्तावक – श्री मनोज कुमार सौनी

कक्ष–26 के अन्तर्गत मलिन मोहल्ला नीम दरवाजा क्षेत्र कोतवाली में बड़ा नाला है। उस नाले में पाय चौकी, माईथान, नीलकण्ठ, फुव्वारा, नीम दरवाजा, आदि कई मौहल्लों का पानी व कूड़ा इस नाले में आकर रुक जाता है। इस नाले की अन्डरग्राउन्ड सफाई का ठेका निर्माण विभाग द्वारा चार–पॉच वर्ष पहले दिया गया था आर–पार सफाई करायी गयी थी वारिष से पहले सफाई नहीं हुई तो मुस्लिम, वाल्मीकि, जाटव आदि जाति के घरों में नाले का पानी भर जाता है और हर वर्ष लाखों रुपयों का नुकसान हो जाता है। जनहित में निर्माण विभाग द्वारा ठेके पर सफाई करायें।

अतः कार्यकारिणी नगर आयुक्त को निर्देशित करती है, उक्त नाले की सफाई करायी जाये। ताकि गरीबों का नुकसान न हो तदानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

श्री मनोज कुमार सौनी, सदस्य – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष पढ़ा गया।

सर्वश्री अशोक बंसल, जितेन्द्र पाराशर, विजय सिंह, शोभाराम राठौर, पप्पू उस्मानी, हाजी बिलाल कुरैशी, श्री कृष्ण, रज़िया सुल्ताना, रजनी माधव आदि सभी सदस्यगण – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया गया।

निर्णय :– कार्यकारिणी समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित करते हुए मुख्य अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि स्थलीय निरीक्षण कर के अन्डरग्राउन्ड नाले की सफाई हेतु आवश्यक कार्यवाही कराई जाये।

प्रस्ताव संख्या पूरक – 22 **प्रस्तावक – श्री मनोज कुमार सौनी**

आगरा शहर स्मार्ट शहर बनने जा रहा है। शहर में कई योजनाओं के अन्तर्गत विकास कार्य हो रहे हैं लेकिन बड़ा चिन्तन का विषय है तमाम छोटी–छोटी समस्याओं पर अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं जैसे (1) शहर में जब कभी जलकल विभाग से हैण्ड पम्प रिपेयर करने हेतु लेवर आती है, हमेशा सामान का रोना रोती है। जैसे– चैन नहीं है, नट बोल्ट नहीं हैं, बासर नहीं हैं, सलैण्डर फट गया है, आदि के नाम पर रोती है। क्षेत्रीय जनता चन्दा कर सामान मंगाकर हैण्डपम्प रिपेयर होते हैं। बड़े शर्म की बात है। (2) जब कभी सीवर मैनहॉल सफाई होते हैं उनके पास खपच्ची तक नहीं होती। उनके पास मैनहोल सीवर सफाई हेतु उपकरण नहीं होने के कारण कई लोग सीवर मैनहोल में मर जाते हैं। (3) नगर निगम सफाई कर्मचारी ठेल, झाड़ू तथा अन्य उपकरण के लिए परेशान रहते हैं। इन समस्याओं का समाधान हो तभी शहर स्मार्ट होगा।

अतः कार्यकारिणी नगर आयुक्त को निर्देशित करती है, छोटी–छोटी समस्याओं का समाधान हो जनहित में, तदानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

श्री मनोज कुमार सौनी, सदस्य – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष पढ़ा गया।

सर्वश्री अशोक बंसल, जितेन्द्र पाराशर, विजय सिंह, शोभाराम राठौर, पप्पू उस्मानी, हाजी बिलाल कुरैशी, श्री कृष्ण, रज़िया सुल्ताना, रजनी माधव आदि सभी सदस्यगण – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया गया।

निर्णय :– **कार्यकारिणी समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित करते हुए महाप्रबन्धक, जलकल को बिन्दु–1 व 2 के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि छोटे–छोटे कार्यों के लिए अनावश्यक टालम–टोल न किया जाये। स्थलीय निरीक्षण कर के तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाये। बिन्दु–3 के सम्बन्ध में उप नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया कि यदि किसी मा0 पार्षद द्वारा शिकायत की जाती है तो पुरानी ठेल जमा करा के नयी ठेल दिला दी जाये।**

प्रस्ताव संख्या पूरक – 23 **प्रस्तावक – श्री राकेश जैन**

हरीपर्वत जोन–4 वार्ड संख्या–67 में निर्भय नगर में विभव हाइट्स के सामने की डाबर रोड एवं पुलिया क्षतिग्रस्त हो गये हैं। रोड पर बहुत गड्ढे भी हो गये हैं। इसलिये निर्भय नगर में विभव हाइट्स के सामने की दोनों तरफ की सड़क हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य एवं पुलिया निर्माण कार्य होना अति आवश्यक है।

अतः नगर निगम कार्यकारिणी यह निश्चय करती है कि निर्भय नगर में विभव हाइट्स के सामने की दोनों तरफ की सड़क हॉटमिक्स द्वारा एवं पुलिया निर्माण कार्य होना जनहित में अति आवश्यक है।

नगर आयुक्त को निर्देश देती है, उपरोक्त निर्माण सड़क एवं पुलिया निर्माण कार्य को शीघ्र कराया जाये।

श्री राकेश जैन, उप सभापति – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष पढ़ा गया।

सर्वश्री अशोक बंसल, जितेन्द्र पाराशर, विजय सिंह, हाजी बिलाल कुरैशी, शोभाराम राठौर, पप्पू उस्मानी, श्रीकृष्ण, मनोज कुमार सौनी, रज़िया सुल्ताना, रजनी माधव आदि सभी सदस्यगण – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया गया।

निर्णय :– **कार्यकारिणी समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास करते हुए मुख्य अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि स्थलीय निरीक्षण करके यह देख लें कि यदि उक्त स्थल नगर निगम को हैन्ड ओवर हो गया हो तो आवश्यकतानुसार आवश्यक कार्यवाही कराई जाये।**

क्ष महोदय की अनुमति से –

ावश्यक प्रस्ताव संख्या – 1

प्रस्तावक – श्री विजय सिंह

अवगत कराना है कि वार्ड–28 मोहनपुरा के अन्तर्गत सुन्दर पाड़ा, गिहारा बस्ती व नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी में नाला बनने के दौरान सीवर की लाइन सीवर चेम्बर से कट हो गई है जिसकी वजह से इतने बड़े क्षेत्र का मल नालियों में बह रहा है।

अतः कार्यकारिणी नगर आयुक्त जी को निर्देशित करती है कि जनहित में उपरोक्त कार्य कराया जाये।

श्री विजय सिंह, सदस्य – द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उपरोक्त आवश्यक प्रस्ताव संख्या–1 कार्यकारिणी समिति के समक्ष पढ़ कर प्रस्तुत किया गया।

सर्वश्री अशोक बंसल, जितेन्द्र पाराशर, हाजी बिलाल कुरैशी, शोभाराम राठौर, पप्पू उस्मानी, श्रीकृष्ण, मनोज कुमार सौनी, रज़िया सुल्तांना आदि सदस्यगण – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया गया।

निर्णय :– **उपरोक्त प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित करते हुए मुख्य अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि स्थलीय जॉच कराकर आवश्यकतानुसार आवश्यक कार्यवाही करायी जाये।**

आवश्यक प्रस्ताव संख्या – 2

प्रस्तावक – श्री विजय सिंह

अवगत कराना है कि वार्ड–28 मोहनपुरा के अन्तर्गत सुन्दर पाड़ा नाला जिसमें कई साल से सिल्ट जमीं हुई है। नगर निगम सदन में प्रस्ताव देने के बाद भी सफाई नहीं हुई। अब बरसात होने को है।

अतः कार्यकारिणी नगर आयुक्त को निर्देशित करती है कि उपरोक्त नाले की सफाई कर जाये।

श्री विजय सिंह, सदस्य – द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उपरोक्त आवश्यक प्रस्ताव संख्या–2 कार्यकारिणी समिति के समक्ष पढ़ कर प्रस्तुत किया गया।

सर्वश्री अशोक बंसल, जितेन्द्र पाराशर, हाजी बिलाल कुरैशी, शोभाराम राठौर, पप्पू उस्मानी, श्रीकृष्ण, मनोज कुमार सौनी, रज़िया सुल्तांना आदि सदस्यगण – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया गया।

निर्णय :– **उपरोक्त प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित करते हुए उप नगर आयुक्त एवं मुख्य अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि स्थलीय जॉच कराकर आवश्यकतानुसार नाला साफ कराया जाये।**

आवश्यक प्रस्ताव संख्या – 3 **प्रस्तावक – श्री जितेन्द्र पाराशर**

वार्ड सं0–13 में 36 क्वार्टर बाल्मिकी बस्ती शाहगंज के अन्तर्गत सीवर लाइन नहीं है। जनहित में वार्ड की समस्या को देखते हुए सीवर लाइन डालना आवश्यक है।

अतः नगर निगम कार्यकारिणी यह निश्चय करती है कि 36 क्वार्टर बाल्मिकी बस्ती, शाहगंज के अन्तर्गत सीवर डलना अति आवश्यक है। नगर आयुक्त को निर्देश देती है कि उपरोक्त निर्माण कार्य को शीघ्र कराया जाये।

श्री जितेन्द्र पाराशर, सदस्य – द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उपरोक्त आवश्यक प्रस्ताव संख्या–3 कार्यकारिणी समिति के समक्ष पढ़ कर प्रस्तुत किया गया।

सर्वश्री अशोक बंसल, विजय सिंह, हाजी बिलाल कुरैशी, शोभाराम राठौर, पप्पू उस्मानी, श्रीकृष्ण, मनोज कुमार सौनी, रज़िया सुल्ताना आदि सदस्यगण – द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया गया।

निर्णय :– **उपरोक्त प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित करते हुए मुख्य अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि स्थलीय जॉच कराकर समस्या के निराकरण हेतु आवश्यकतानुसार उचित कार्यवाही करें।**

मा0 सभापति – द्वारा सभी को धन्यवाद देते हुए अधिवेशन समाप्ति की घोषणा की गयी।

(इन्द्रजीत आर्य)
महापौर,
नगर निगम, आगरा।